न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–08 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. शंकरी बाई विधवा प्रभुदास, जाति बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, पंचायत गोपालपुरा, बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. महावीर दास पिता प्रभुदास, जाति बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गुड्डा थाना डाबी, जिला बून्दी, राजस्थान।
3. जगदीस पिता प्रभुदास, जाति बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी ग्राम कंवरपुरा, थाना डाबी, जिला बून्दी राजस्थान।
4. अंजना पुत्री प्रभुदास पत्नी महावीर बैरागी, जाति बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी ग्राम धनेश्वर थाना डाबी, जिला बून्दी, राजस्थान।
5. काली बाई पुत्री प्रभुदास पत्नी श्यामलाल, जाति बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी ग्राम अमरजिया, तहसील बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. कन्हैया पिता मोहन दास, जाति बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नारायण पिता नाथु जी, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गीता बाई पुत्री सुखराम दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. तुल्सी राम पुत्र रतन दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. नन्दु बाई पुत्री सुखराम दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. बालु दास पुत्र सुखराम दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. भंवरी बाइ पुत्र रतन दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. मदन दास पुत्र सुखराम दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. राधा बाई पुत्री सुखराम दास बैरागी, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गणेशपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. भूमिधारी तहसीलदार तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :– श्री [illegible] हुसैन

अप्रार्थीगण की ओर से :– पेरोकार सरकार।

दिनांकः– 01.[illegible].2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:आदेशः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा गणेशपुरा प0ह0 गोपालपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 46 खसरा संख्या 313 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 47 खसरा संख्या 311 कुल रकबा 1.51 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 311,313 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम मौजा गणेशपुरा प0ह0 गोपालपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 46 खसरा संख्या 313 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 47 खसरा संख्या 311 कुल रकबा 1.51 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested